(A2)

न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

विविध अपील संख्या 36 / 2021

विनोद कुमारी पुत्री मूलचन्द पत्नि प्रदीप कुमार, ग्रा0पो0 लोटिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज0) मो0 न0 9784461303, 9660066464

–– अपीलान्ट

बनाम

1. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं।
2. बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
3. ग्राम पंचायत लोटिया, पंचायत समिति सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
4. श्रीमती सुजाता पत्नि बाबूलाल, निवासी ग्रा0पो0 लोटिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

––

अपील बखिलाफ आदेश बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, सूरजगढ, आदेश दिनांक 15.10.2020 ग्राम सभा ग्राम पंचायत लोटिया

––

उपस्थित

1. विनोद कुमारी– स्वयं
2. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं।
3. बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

अनुपस्थित

4. ग्राम पंचायत लोटिया, पंचायत समिति सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
5. श्रीमती सुजाता पत्नि बाबूलाल, निवासी ग्रा0पो0 लोटिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

निर्णय दिनांकः–05.07.2021

आदेश

अपीलान्ट विनोद कुमारी पुत्री मूलचन्द पत्नि प्रदीप कुमार, ग्रा0पो0 लोटिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज0) ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 2299 / 2021 उनवानी विनोद कुमारी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.03.2021 की पालना करवाने बाबत दिनांक 09.04.2021 को अपील प्रस्तुत कर न्यायालय निर्णय के अनुसार आंगनबाडी केन्द्र लोटिया के आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पद पर नियुक्ति देने का निवेदन किया। अपील दर्ज की जाकर बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, सूरजगढ से रिपोर्ट तलब की गई एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार हैः–

Taking into consideration that an appointment is on honorarium basis, this court directs the

(43)

Collector, who is admittedly an Applellate Authority, who will examine the grievance of the petitioner as raised by her in the representation dated 4th January, 2021 treating it as an appeal and after giving notice to the other side, decide the issue by giving the opportunity of hearing to both the parties. The decision may be taken within a peiod of one month henceforth. The writ petition stands disposed of.

अपील व निर्णय दिनांक 26.03.2021 के बाबत बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, सूरजगढ से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई हेतु सूचित किया गया। बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, सूरजगढ ने अपने पत्रांक 179 दिनांक 12.05.2021 द्वारा न्यायालय में तथ्यात्मक प्रतिवेदन पेश किया जिसके अनुसार श्रीमती विनोद कुमारी पत्नि प्रदीप कुमार, जाति मेघवाल, ग्राम पंचायत लोटिया, तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं की निवासी है। अपीलान्ट द्वारा आंगनबाडी केन्द्र लोटिया के रिक्त पद आंगनबाडी सहायिका के पद पर आवेदन किया था। अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि खाद्य सुरक्षा (NFSA) का आवेदन पत्र मे कोई विकल्प नही था। बल्कि खाद्य सुरक्षा (NFSA) का विकल्प आवेदन पत्र के साथ मूल्यांकन प्रपत्र के क्रम संख्या 6 पर दर्शाया गया है। अपीलान्ट का यह कथन सही नही है कि चयन प्रकिया के दौरान अन्यत्र प्रार्थिया के आवेदन पत्र मे कांट–छांट कर खाद्य सुरक्षा योजना की प्रतिलिपि चयन के दौरान सलंग्न करके खाद्य सुरक्षा (NFSA) का 1 अंक अधिक प्रदान कर दिया गया है। चयन प्रकिया के दौरान अन्यत्र किसी भी आवेदन पत्र मे कांट–छांट नही की गई है एवं आवेदन पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर ही खाद्य सुरक्षा (NFSA) का 1 अंक चयनित महिला को दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा राशन कार्ड एवं खाद्य सुरक्षा (NFSA) की प्रतिलिपि सलंग्न नही किये जाने के आधार पर सही अंक दिये गये है। अपीलान्ट का यह कथन मिथ्या है कि उसे खाद्य सुरक्षा (NFSA) के 1 अंक से वंचित कर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर सही अंक दिये गये एवं एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद विभागीय नियमानुसार किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज जमा नही किया जा सकता। ग्राम सभा कार्यवाही की जांच हेतु पत्र क्रमांक 949 दिनांक 02.02.2021 के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरजगढ को पत्र भेजा गया एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरजगढ द्वारा की गई ग्रामसभा की कार्यवाही को सही बताया गया है। ग्राम सभा दिनांक 15.10.2020 के दौरान अपीलान्ट के पति प्रदीप कुमार उपस्थित थे या नही यह जानकारी उनके कार्यालय स्तर की न होकर ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा0प0 लोटिया के स्तर की है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 04.01.2021 को की गई शिकायत की जांच करवा कर रिपोर्ट पूर्व मे भिजवा दी गई है।

अपीलान्ट एवं विभागीय प्रतिनिधि सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सुजाता उपस्थित नही। बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि आंगनबाडी केन्द्र लोटिया के रिक्त पद आंगनबाडी सहायिका के पद पर आवेदन के समय आवेदन पत्र मे खाद्य सुरक्षा (NFSA) का विकल्प नही था। जबकि चयन के समय रेस्पोडेन्ट सुजाता को खाद्य सुरक्षा (NFSA) का 1 अतिरिक्त अंक देकर चयनित कर लिया गया। अपीलान्ट की शैक्षिक योग्यता भी रेस्पोडेन्ट सुजाता से अधिक है। उक्त पद के लिए जारी विज्ञप्ति मे कहीं भी खाद्य सुरक्षा (NFSA) के 1 अंक के प्रावधान का कोई उल्लेख नही था। ग्राम सभा की बैठक मे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये जाकर रेस्पोडेन्ट सुजाता के चयन के लिए बाद मे खानापूर्ति कर कार्यवाही की गई है। रेस्पोडेन्ट सुजाता सरपंच की नजदीकी

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(44)

रिश्तेदार भी है। अपीलान्ट का आवेदन पत्र वर्ष 2020 से पूर्व का है। उस समय खादय सुरक्षा (NFSA) के 1 अंक का विज्ञप्ति कहीं कोई उल्लेख नही था। इस तहत रेस्पोडेन्ट सुजाता का चयन गलत हुआ है। अतः रेस्पोडेन्ट सुजाता का चयन निरस्त कर अपीलान्ट का चयन आंगनबाडी केन्द्र लोटिया के रिक्त पद आंगनबाडी सहायिका के पद पर किया जावे।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि आंगनबाडी केन्द्र लोटिया के रिक्त पद आंगनबाडी सहायिका के पद पर चयन के लिए आवेदन पत्र के साथ अपीलान्ट ने राश कार्ड की प्रति प्रस्तुत नही की जिसके कारण उसे खादय सुरक्षा (NFSA) के 1 अंक का लाभ नही दिया गया। आवेदन पत्र मे राशन कार्ड सलंग्न करने के स्पष्ट निर्देश थे। विभाग के परिपत्र के अनुसार ही रेस्पोडेन्ट सुजाता का चयन किया गया है। अपीलान्ट का आवेदन पत्र चयन के समय निर्धारित पात्रता अंक मूल्यांकन मे नही होने से चयन नही किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील निरस्त कर रेस्पोडेन्ट सुजाता का चयन बहाल रखा जावे।

हमने बहस अपीलान्ट, विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रिपोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। चूंकि आंगनबाडी केन्द्र लोटिया के रिक्त पद आंगनबाडी सहायिका के पद पर चयन के लिए आवेदन पत्र के साथ अपीलान्ट ने आवेदन के समय राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत नही की जिसके कारण उसे खादय सुरक्षा (NFSA) के 1 अंक का लाभ नही दिया गया। अपीलान्ट ने भी बहस मे स्वयं माना है कि उसने आवेदन के साथ राशन कार्ड की प्रति सलंग्न नही की थी जबकि आवेदन पत्र मे राशन कार्ड सलंग्न करने के स्पष्ट निर्देश थे। मूल्यांकन रिपोर्ट मे रेस्पोडेन्ट सुजाता को 7 अंक मिले है एवं अपीलान्ट को 6 अंक मिले है। विभाग के परिपत्र के अनुसार ही अधिक अंक होने से रेस्पोडेन्ट सुजाता का चयन किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य नही है। अतः सारहीन होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं एवं बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.07.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(चू0डी0खान) 05/07/21
जिला कलक्टर,झुंझुनूं